

बनाम

/20

संख्या/वर्ष

आज्ञा विस्तृत रूप से

सिद्धि प्राप्त
का प्रमाण

विरोध विवरण

14.5.22

पत्रावली काडीगण के अधिनियम के निदेश पर लोक अदालत में एकी गठ काडीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य शर्जीनामा पेश हो चुका है अतः लोक अदालत की आज्ञा काडीगा काई स्वीकार फलामा जो कि निर्देश किया है प्रमाण का प्रस्तुत से अधिनियम किया गया काडी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं शर्जीनामा अदालत वाद डिब्बी किया जाय है पत्रावली के निर्णय प्रथम से लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया - पत्रावली फलामा हुआ होगा नम्बर से कम होगा अधिल दफ्तार हो




अपर मुख्य न्यायाधीश एवं
अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट
कम नं 15 जालपुर न्यायालय प्रथम (याकसु)

4.7.22

पत्रावली काडी ल.3 के प्रार्थना पत्र 15/4/22 पर तलब की गई काडी ल.3 ने निदेश किया है कि दिनांक 14.5.22 लोक अदालत में प्रार्थी के पिता का नाम गलती से (अधिवक्ता) हो गया है जबकि पिता का नाम रामकृष्ण है अतः इसे दुबारा फलामा जो कि प्रार्थना पत्र 15) स्वीकार किया जाकर काडी ल.3 के पिता का नाम निर्णय में गलत (अधिवक्ता) के स्थान पर रामकृष्ण किया जाता इन्हें प्रार्थन मालव्याई से निर्णय व डिब्बी में किया जावे। पत्रावली फलामा दफ्तार हो